इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट

समाचार पत्रिका

वर्ष 16, अंक 4

अक्टूबर से दिसम्बर 2009

नारी का श्री और लक्ष्मी रूप

डॉ. मुरली मनोहर जोशी

आई.एस.एस.अध्ययन
समान मजदूरी अधिनियम

जेंडर और केयर

पटरी पर सामान बेचने वाले

जेंडर रिसोर्स सेंटर :सामाजिक सुविधा केंद्र

यह अंक

देश और समाज के विकास के लिए जरूरी है – आधी दुनिया का सहयोग। इसके लिए जरूरी है महिलाओं को समान अवसर देना। महिला–पुरुष समानता की बात तो दूर, हमारे देश के कई हिस्सों में बेटी का जन्म भी अभिशाप माना जाता है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की केंद्र ही महिला है, लेकिन उसके इस योगदान का कोई महत्त्व नहीं है। यह ग्रामीण अनपढ़ महिला नवजात शिशु से लेकर वृद्ध, बीमार सदस्यों की देखभाल करती है। जरूरत पड़ने पर परिवार की अर्थव्यवस्था भी संभालती है।

इस बहुआयामी भारतीय स्त्री का मूल्यांकन विदेशी नजरिए से नहीं हो सकता, यहां परिवार आज भी समाज का केंद्र है – इसे बता रहे हैं डॉ. मुरली मनोहर जोशी।

इसके साथ ही आईएसएसटी में चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी प्रस्तुत है।

नारी का 'श्री' और 'लक्ष्मी' रूप

डॉ. मुरली मनोहर जोशी

भारतीय समाज में महिलाओं के साथ आर्थिक और सामाजिक तौर पर जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उसकी गंभीरता से समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन इसके लिए उन्हें पश्चिमी देशों की महिलाओं के साथ रख कर नहीं देखना चाहिए। पश्चिम के बड़े देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क में परिवार नामक संस्था मोटे तौर पर टूट चुकी है। बाकी देशों में भी परिवार उतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।

भारतीय समाज का केंद्र बिंदु ही परिवार है और उसकी धुरी महिला है। इसीलिए भारत में महिला के साथ सामाजिक व्यवहार या उसके प्रति दृष्टिकोण पश्चिमी देशों में प्रचलित दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के तौर पर भारत में एक ग्रामीण महिला की स्कूली शिक्षा नगण्य होती है, लेकिन वह नवजात शिशु से लेकर मरणासन्न वृद्ध तक की देखभाल करती है। घर की बेटी, बेटे और दामाद को संभालती है। खेती पर भी निगाह रखती है। समय आने पर परिवार की अर्थ व्यवस्था भी संभालती है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की तुलना में कहीं ज्यादा बहुआयामी है।

भारतीय महिलाओं पर जब भी, जो भी जिम्मेदारी आती है, वे उसे पूरे मन से निभाती हैं। लेकिन हम उनके गुणों और प्रतिभा की उपेक्षा करते हैं। उनके योगदान का सम्मान नहीं करते और न बदले में कुछ देते ही हैं। कई राज्यों और अनेक जातियों में बेटी का जन्म आज भी अभिशाप माना जाता है। उसे भ्रूण में ही नष्ट कर दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उपेक्षित सदस्य की तरह उसकी परवरिश होती है। हम यह भूल जाते हैं कि एक बालक की अपेक्षा बालिका को शिक्षित करने का अर्थ पूरे परिवार को शिक्षित करना होता है।

बालिका ही आगे चलकर मां बनती है। यदि वह स्वस्थ नहीं होगी तो उसकी संतान भी स्वस्थ नहीं हो सकती। लेकिन यह बहुत दुखद स्थिति है कि हमारे देश में प्रसव के पहले या बाद की देखरेख की ऐसी संस्थागत व्यवस्था नहीं है, जो उसे अधिकार के तौर पर मिले।

इतना ही नहीं, देश में महिलाएं जितना काम कर रही हैं, उनका प्रगति में उतना योगदान नहीं माना जाता। उन्हें समाज में वह स्थान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार हैं। घर में मां, पत्नी या बहन जितना काम करती हैं, वह जीडीपी में नहीं जुड़ता। यदि कोई महिला नौकरी करती है तो उसकी आय जीडीपी में जुड़ जाती है, लेकिन यदि उसका विवाह कंपनी के मालिक से हो जाए और वह उसी कंपनी के लिए काम करती रहे तो भी उसकी आय जीडीपी से बाहर हो जाती है।

महिलाओं के प्रतिनिधित्त्व के सवाल को भी उचित महत्त्व नहीं दिया जाता। संसद और विधानसभाओं में उनके रिजर्वेशन का विधेयक वर्षों से लटका पड़ा है। समाज में कई वर्ग महिलाओं को बराबरी का स्थान देना अनुचित मानते हैं। उससे बचने के लिए वे तरह–तरह के तर्क सोचते हैं। भारतीय महिला की सहिष्णुता और उत्तरदायित्त्व निभाने की उसकी प्रतिबद्धता को उसकी कमजोरी माना जाता है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो धुरी ही महिला है लेकिन वहां उसके प्रति संवेदनशीलता का घोर अभाव है।

शहरी महिलाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार की तुलना में ग्रामीण तथा श्रमिक महिलाओं के प्रति व्यवहार में भारी अंतर होता है। वंचित, पीड़ित, तथा प्रताड़ित दलित महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। उनके साथ बलात्कार तथा मारपीट की खबरें आम हैं, यहां तक कि दूधमुंही बच्चियां तक सुरक्षित नहीं होतीं। ऐसे कलंक मिटाने के लिए बड़े भारी क्रांतिकारी परिवर्तन और सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। सामाजिक रूढ़ियां इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पुराने धार्मिक आडंबर भी उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं।

देश और समाज के विकास के लिए इस आधी आबादी का पूर्ण सहयोग जरूरी है। इसके लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को समान रूप से शिक्षा दी जाए। कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें वे सहज और स्वाभाविक रूप से सीख सकती हैं। उनके लिए ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में जाने के भी और रास्ते खोले जाएं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसे हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने मौका मिलने पर अपने देश और समाज का नाम रौशन किया। लेकिन ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं कि अच्छे अंक लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाली ज्यादातर बालिकाएं विवाह के बाद कुंठित हो जाती हैं। ऐसे परिवार कम ही हैं जहां बहुओं को अपनी प्रतिभा विकसित करने का पूरा मौका मिलता हो। जबकि उनकी प्रतिभा का लाभ देश को और उस परिवार को मिल सकता है, जिसका वे हिस्सा बनती हैं।

महिलाओं के विकास के लिए आधुनिक तकनीक वाली योजनाओं की मदद ली जा सकती है जिससे वे घर बैठ कर अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकें। बीपीओ से लेकर कम्प्यूटर की मदद से ऑनलाइन रिसर्च तक बहुत सारे काम हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके लिए बाहर का कोई क्षेत्र बंद किया जाए। वायुसेना में कुछ क्षेत्र अब भी महिलाओं के लिए वर्जित हैं। ऐसे क्षेत्र खोलने के लिए महिलाओं का स्वर तेज हो रहा है। यह आवाज सुनी जानी चाहिए।

विधवाओं के प्रति भी दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। उनके निरर्थक और शून्य बनाए गए जीवन को सार्थक बनाने की जरूरत है। विधवा महिलाओं को सार्थक जिंदगी जीने के किसी भी मौके से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें घरों में बंद करके रखा जाता है। जबकि सब प्रकार के कार्यों में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। इस पर भी जनजागरण और जनचेतना फैलाने की आवश्यकता है। पश्चिम की नकल में नारी स्वाधीनता के नाम पर उसे एक उपभोक्ता सामग्री के रूप में पेश किया जा रहा है। यह ठीक है कि नारी प्रकृति की बहुत सुंदर कृति है, लेकिन हम सत्यम, शिवम, सुंदरम के उपासक हैं। हमारे यहां वह महाकाली का रूप भी धारण करती है और तब उनका क्रोध शांत करने के लिए शिव को भी नत मस्तक होना पड़ता है। हमें नारी का अन्नपूर्णा, सरस्वती और दुर्गा के सम्मिलित व्यक्तित्त्व का निर्माण करना चाहिए, जिससे समाज में 'श्री' और 'लक्ष्मी' की बढ़ोत्तरी हो सके।

नवभारत टाइम्स से साभार

समान मजदूरी अधिनियम : एक अध्ययन

श्रम बाज़ार में जेंडर समानता के संदर्भ में समान मजदूरी अधिनियम (1976) महत्त्वपूर्ण अधिनियम है। हालांकि इस अधिनियम का बहुत कम उपयोग होता है। खासकर, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की इस अधिनियम तक पहुंच नहीं है। इस अधिनियम की सलाहकार समिति भी है। लेकिन धीरे–धीरे इस सलाहकार समिति का अस्तित्त्व भी खत्म होता जा रहा है।

इस अधिनियम, सलाहकार समिति की स्थिति और अधिनियम के उपयोग की सीमाओं को समझने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से एक अध्ययन कर रहा है।

इस अध्ययन में अधिनियम की संक्षिप्त समीक्षा की जाएगी जैसे : यह अधिनियम कब पारित हुआ, अधिनियम बनते समय यदि उस पर हुई बहस कहीं दर्ज है तो उसकी जानकारी आदि।

इस अधिनियम के अंतर्गत अभी तक जो केस दायर किए गए, उनके विश्लेषण से पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र के मजदूरों या मजदूर समूहों ने इस अधिनियम का ज्यादा उपयोग किया है। पिछले वर्षों में इस तरह के कितने मामले दर्ज हुए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उपयोग करने के लिए महिला मजदूरों को प्राथमिकता दी गई है। इसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्त्री–पुरुष को

समान काम के लिए वितरित की गई असमान मजदूरी की शिकायतों की भी समीक्षा की जाएगी।

इस अधिनियम के बारे में ट्रेड यूनियन के नेताओं और वकीलों से बातचीत की जाएगी। यह बातचीत ऐसे लोगों से की जाएगी, जो इस अधिनियम के बारे में जानकारी रखते हैं और इसका उपयोग करते हैं, जो जानकारी तो रखते हैं, लेकिन उपयोग नहीं करते और जिन्हें इस अधिनियम के बारे में पता ही नहीं है। इस साक्षात्कार में समान मजदूरी अधिनियम का उपयोग नहीं करने के कारण, कमी, मुद्दे, चुनौतियों और इसमें सुधार के लिए सुझाव को जानने की भी कोशिश की जाएगी।

अध्ययन से निकले निष्कर्षों पर चर्चा के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी।

जेंडर संवेदनशील मूल्यांकन अध्ययन

देश में महिलाओं से संबंधित चल रही योजनाओं के मूल्यांकन की समीक्षाओं और इन मूल्यांकन अध्ययनों में आवश्यक परिवर्तन की जरूरत को समझने के उद्देश्य से आईएसएसटी द्वारा निकट भविष्य में एक गोष्ठी आयोजित करने की योजना है। इस गोष्ठी में पारदर्शी और जेंडर संवेदनशील मूल्यांकन अध्ययनों को प्रस्तुत किया जाएगा। यह वर्कशॉप इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सहयोग से की जायेगी।

जेंडर और केयर

पिछले दिनों आईएसएसटी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से दो दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। यह वर्कशॉप 8–9 दिसंबर 2009 को सूरजकुंड में स्थित क्लेरिजिस होटल में आयोजित की गई। चर्चा का विषय था – देखभाल पाने और देखभाल करने से संबंधित महिलाओं के अधिकार को अनौपचारिक, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीति निर्धारण में जगह मिल सके। साथ ही देखभाल की विविधता की जरूरतों और व्यापक स्तर पर उसके आकार पर भी चर्चा हुई।

पटरी पर सामान बेचने वाले : एक अध्ययन

अहमदाबाद शहर में पटरी पर सामान बेचने वालों की सामाजिक–आर्थिक और काम की परिस्थितियों पर जीवकोपार्जन की सुरक्षा तथा योग्यता निर्माण के क्षेत्र में सेवा महिला ट्रस्ट के काम के असर को समझने के लिए आईएसएसटी द्वारा मूल्यांकन अध्ययन किया गया। यह अध्ययन बेस लाईन सर्वे के माध्यम से किया गया।

उद्देश्य

मार्च–मई 2009 में यह सर्वे किया गया। योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सेवा यूनियन के साथ बातचीत करके इस अध्ययन में इन जानकारियों को शामिल किया गया। जैसे – चुने हुए बाजारों के पटरी विक्रेताओं की जानकारी, घर के आस–पास उपलब्ध बुनियादी जरूरतें, काम की स्थिति, बिक्री की मजबूरी और समस्यायें, आमदनी, खर्च, बचत और कर्ज, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच तथा सेवा और अन्य सरकारी संस्थाओं जैसे असंगठित मजदूर कल्याण बोर्ड द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की पात्रता। इसके अलावा इस अध्ययन में सेवा द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों तक इनकी पहुंच और इनकी आजीविका पर शहरी विकास के असर से संबंधित जानकारी भी जुटायी गई।

काम का तरीका

इस नमूना सर्वे में अहमदाबाद शहर में 17 बाजार क्षेत्रों में फैले 461 पटरी विक्रेताओं को शामिल किया गया। इनमें 430 महिला विक्रेता और 31 पुरुष विक्रेता हैं। लगभग ये सभी विक्रेता (454) सेवा यूनियन के सदस्य हैं। इस अध्ययन के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

निष्कर्ष

घर के आसपास का ढांचा और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच

सर्वेक्षण के लिए चयनित अधिकतर उत्तरदाताओं के अपने घर हैं। घरों में अहमदाबाद नगर निगम से पानी आता है। इनमें से अधिकांश लोगों को टोरेंट पावर कारपोरेशन से बिजली मिलती है। ज्यादातर लोग औसत 376 रुपए मासिक बिजली पर खर्च करते हैं। अधिकांश घरों में शौचालय की सुविधा है। इनमें से कुछ ही परिवार ऐसे हैं, जो बाहर जाते हैं। ज्यादातर उत्तरदाता कच्चे घर में रहते हैं।

चयनित उत्तरदाताओं में से लगभग 50 प्रतिशत ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं।

50.10 प्रतिशत विक्रेताओं ने बताया कि गंभीर बीमारी की स्थिति में सरकारी अस्पताल जाते हैं। लगभग इतने ही लोग 46.40 प्रतिशत विक्रेता प्रायवेट चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करते हैं। चयनित उत्तरदाताओं में से अधिकतर 94.14 प्रतिशत इलाज पर खर्च करते हैं।

61 प्रतिशत उत्तरदाता बच्चों को स्कूल भेजते हैं।

पहचान पत्र

लगभग 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास चुनाव पहचान–पत्र हैं। इनमें से कुछ उत्तरदाताओं के पास राशन कार्ड, सेवा कामदार कल्याण बोर्ड द्वारा दिए गये पहचान पत्र भी हैं। लगभग 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असंगठित कामदार कल्याण बोर्ड में नामांकन कराया है। इनमें से कुछ इलाकों में नामांकन नहीं कराने वाले विक्रेताओं की संख्या अपेक्षकृत बहुत अधिक है। ये इलाके हैं बापू नगर, पारस नगर, मानेक चौक और गोमतीपुर।

बिक्री की जगह पर बुनियादी सुविधायें

अधिकांश विक्रेताओं ने बताया कि बिक्री की जगह पर शौचालय, पीने का पानी, शेल्टर, आराम करने की जगह, स्ट्रीट लाईट जैसी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। इनमें से अधिकांश लोग इन सुविधाओं के लिए पैसा देने के लिए भी तैयार हैं।

इनमें से कुछ लोग बहुत जल्दी खराब हो जाने वाले पदार्थों की बिक्री करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वे देर तक टिकने वाले सामान की बिक्री करते हैं और कुछ लोग दोनों तरह के सामान की बिक्री करते हैं। केवल 30 लोगों ने कहा कि उन्हें सामान रखने की सुविधा प्राप्त है।

ज्यादातर उत्तरदाताओं ने बताया कि काम से संबंधित समस्या होने पर वे सेवा से संपर्क करते हैं।

आमदनी, खर्च, बचत और उधार

इस सर्वे के लिए चयनित ये विक्रेता औसत 103 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। मानेक चौक में सबसे कम यह आमदनी 65 रुपए और उत्तम नगर में सबसे अधिक 155 रुपए बताई गई। खाने और आराम करने के समय को छोड़ दें तो ये विक्रेता औसत आठ घंटे काम करते हैं। इनमें से अधिकांश विक्रेताओं ने बताया कि वे दिन में दस घंटे काम करते हैं।

ज्यादातर विक्रेताओं (407) ने बताया कि पिछले दो वर्षों में उनकी आमदनी गिरी है। केवल 81 उत्तरदाताओं ने कहा कि वे माह में 170–341 रुपए की बचत करते हैं। 363 विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें कर्ज की जरूरत पड़ती है। विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या (188) ने हाल ही में स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना शुरू किया है। केवल 37 विक्रेताओं का कहना है कि वे सेवा के माध्यम से कर्ज लेते हैं।

मजबूरी और समस्यायें

अधिकांश विक्रेताओं के पास अहमदाबाद नगर निगम का लायसेंस नहीं है। केवल 41 विक्रेता अपनी जगह का किराया देते हैं। लगभग 333 लोगों का कहना है कि बाजार में सुरक्षित जगह के लिए वे किराया देने के लिए तैयार हैं।

220 विक्रेताओं ने बताया कि अहमदाबाद नगर निगम द्वारा उन्हें उनकी जगह से बेदखल किया गया या हटा दिया गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनका

सामान जब्त कर लिया गया। इनमें से ज्यादातर (173) लोगों ने अहमदाबाद नगर निगम से अपना सामान छुड़ा लिया है। सामान छुड़वाने में उन्हें सेवा से मदद मिली। 116 विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें उनकी जगह से पुलिस ने हटाया और पिछले एक माह में औसत अधिकतम 17 बार हटाया गया।

218 विक्रेताओं का कहना था कि बाज़ार में रिलायंस, सुभिक्षा जैसे फल, सब्जी बेचने वाले खुदरा व्यापारियों के आ जाने से उन्हें कॉम्पटीशन का सामना करना पड़ रहा है।

नमूना सर्वे में लिए गए कुल विक्रेताओं में से लगभग पचास प्रतिशत विक्रेताओं का कहना है कि बाजार में होने वाले नए निर्माण कार्यों के कारण उन्हें जगह से हटाए जाने की धमकी मिली है।

विक्रेताओं को उनकी जगह से बेदखल करना और हटा देने के आंकड़ों से पता चलता है कि बाजार में सुरक्षित जगह पाना विक्रेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 203 विक्रेताओं ने बताया कि कोर्ट के सम्मन और शिकायतों को सुलझाने में सेवा की मदद लेते हैं।

सेवा : प्रचार, समर्थन और प्रशिक्षण

नमूना सर्वे के लिए चयनित ज्यादातर विक्रेताओं को सेवा और सरकारी विभिन्न योजनाओं की जानकारी है। खासकर, सेवा, लेकिन इन विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वालों की संख्या बहुत कम है।

सर्वेक्षण के लिए चयनित अधिकतर (337) विक्रेताओं ने बताया कि जगह के संबंध में बनी सेवा की धंधा समितियों में हिस्सा लेते हैं।

146 विक्रेताओं ने सेवा से कानूनी प्रशिक्षण लिया है।

बाजार की स्वच्छता, कचरे का प्रबंधन, बाज़ार क्षेत्र के लिए अहमदाबाद नगर निगम द्वारा बनाये गये नियम–कानूनों की जानकारी, उत्पादन और बिक्री की जगह तथा बेदखली के समय अहमदाबार नगर निगम अधिकारियों के साथ व्यवहार जैसे मुद्‌दों पर लगभग 50 प्रतिशत विक्रेताओं ने प्रशिक्षण लिया।

ज्यादातर विक्रेताओं को बाज़ार समिति के विचार की जानकारी नहीं है। इनकी सदस्य संख्या बहुत कम है।

318 विक्रेता बाज़ार के रख–रखाव के लिए सामूहिक खर्च कोष में भुगतान के लिए तैयार हैं और 309 विक्रेता सामूहिक बचत कोष के लिए पैसा देने तैयार हैं।

जेंडर रिसोर्स सेंटर :सामाजिक केंद्र

पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग के जीवन को सुधारने के लिए 'सामाजिक सुविधा संगम' के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के इस उपेक्षित वर्ग को बगैर किसी परेशानी के एक ही जगह पर विभिन्न योजनायें और सेवायें मिल सकें।

अपने उद्देश्य को प्राप्त करने और योजना के क्रियान्वयन के लिए जेंडर रिसोर्स सेंटर–सामाजिक सुविधा केंद्र नाम से क्षेत्रीय स्तर के संगठनों की स्थापना की गई है। इन संगठनों के संचालन के लिए प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों का चयन किया गया है। इन चयनित गैर–सरकारी संगठनों में आईएसएसटी को भी शामिल किया गया है।

नौ सरकारी विभागों की विभिन्न योजनायें निर्धनतम और उपेक्षित वर्ग को एक ही जगह से उपलब्ध कराने का काम इन जीआरसी–सुविधा केंद्रों को दिया गया है। जीआरसी–सुविधा केंद्र यह काम दिल्ली के हरेक जिले में उप–आयुक्त(डीसी)कार्यालय से जुड़े जिला संसाधन केंद्र (डीआरसी) के सहयोग से करेंगे।

जीआरसी की मुख्य केंद्र बिंदु महिलायें तो हैं ही, लेकिन ये सुविधा केंद्र परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतों पर भी ध्यान देंगे। इस योजना में आश्रयहीन, महिला और बच्चे प्रधान परिवार, सेक्स वर्कर, कबाड़ी आदि का धंधा करने वाले परिवारों को प्रमुखता दी

जाएगी। जीआरसी के प्रमुख घटक : स्वास्थ्य, पोषाहार, अनौपचारिक शिक्षा, स्वयं सहायता समूह, पोषक तत्त्वों की जानकारी आदि माध्यमों से गैर–सरकारी संस्थाओं की इन परिवारों तक सीधी पहुंच की भूमिका होगी। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं पर इनके अधिकारों की जानकारी देना और सामाजिक सुविधा केंद्र में आकर अधिकारपूर्वक वे इन योजनाओं को प्राप्त कर लाभ उठा सकें उन्हें इस योग्य बनाना भी इन गैर–सरकारी संस्थाओं का कर्तव्य होगा।

आईएसएसटी में 12 अक्टूबर 2010 से जेंडर रिसोर्स सेंटर–सुविधा केंद्र की शुरूआत हुई। आईएसएसटी ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर और मयूर विहार फेज़ 2 को अपना कार्य क्षेत्र बनाया है।

जीआरसी–सुविधा केंद्र के लिए अलग से जगह नहीं मिलने के कारण कल्याणपुरी स्थित आईएसएसटी साथी केंद्र से ही यह काम शुरू हुआ। इस योजना में लगभग 9 कार्यकर्ता हैं।

इन कार्यकर्ताओं ने बस्ती में लोगों के साथ मीटिंग से अपने काम की शुरुआत की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य जेंडर रिसोर्स सेंटर–सुविधा केंद्र के बारे में जानकारी देना, बस्ती की जरूरतों को समझना और उन्हें हल करने की संभावना तलाशना है। जीआरसी–सुविधा केंद्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इन कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेताओं से बातचीत और संपर्क स्थापित करने की भी शुरुआत की।

इसके अलावा जीआरसी के कार्यकर्ताओं ने अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र की बस्तियों का सर्वे किया। लगभग 25 बैठकें कीं। इन बैठकों में 133 लोगों ने हिस्सा लिया। इन बैठकों में जीआरसी–सुविधा केंद्र क्या है, इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, बस्ती की व्यावसायिक जरूरतों के बारे में जानकारी लेना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फ्रीशिप कोटे के अंतर्गत स्कूलों में दाखिला आदि पर चर्चा की गई।

इन बैठकों में मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फ्रीशिप कोटे के अंतर्गत स्कूलों में दाखिला तथा वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन की समस्यायें सामने आयीं।

इन सब कामों के साथ ही जीआरसी कार्यालय के लिए जगह की तलाश भी जारी रही। 1 दिसंबर 2010 से जीआरसी–सुविधा केंद्र ने अपने नए कार्यालय से काम शुरू कर दिया।

बस्ती की जरूरत के अनुसार सुविधा केंद्र में फिलहाल कटिंग और सिलाई तथा ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया गया।

आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इगनू) द्वारा समाज के निर्धन वर्ग के युवक–युवतियों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई है। जुलाई 2009 में शुरू हुए इन कम्युनिटी कॉलेजों की श्रृंखला में आईएसएसटी को भी जोड़ा गया।

इसके अंतर्गत आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज ने जुलाई में फंक्शनल इंग्लिश छः माह के सर्टिफिकिट पाठ्यक्रम की शुरुआत की। कम्युनिटी कॉलेज के इस प्रथम सत्र में 30 छात्र–छात्राओं ने प्रवेश लिया। फंक्शनल इंग्लिश के इस पाठ्यक्रम में – जीवन से जुड़ी, दैनिक उपयोग में आने वाली बातों, जैसे : फल, सब्जी, मौसम, दिशा निर्देश आदि के अंग्रेज़ी नाम; हमारे जीवन में अंग्रेज़ी का महत्त्व और आवश्यकता; अंग्रेज़ी व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम,क्रिया आदि; अंग्रेजी के अक्षर, छोटे–छोटे वाक्य बनाना, अंग्रेज़ी में सामान्य वार्तालाप आदि को – रखा गया है।

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली परीक्षाओं की तिथि इगनू द्वारा अभी घोषित नहीं की गई है।

अन्य कार्यक्रम

इसके साथ ही पिछले चार सालों से भारतीय प्रतिष्ठान के सहयोग से आई एस एस टी साथी सेंटर में लगभग सभी आयु समूह के बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । ये कार्यक्रम हैं – बचपन, 'नक्षत्र' नाट्य समूह, सूचना का अधिकार और समूह चर्चा।

बचपन कार्यक्रम 1 से 5 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की कल्पनाशीलता और रचनात्मक कौशल को बढ़ाना; बच्चों में शिष्टाचार, विनम्रता, सदाचार आदि गुणों को विकसित करना; साफ–सफाई का महत्त्व समझाना और खेल–खेल में ही बच्चों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की सामान्य जानकारी देना है। इस तरह बच्चों के मन से पढ़ाई की बोझिलता कम होती है और वे खेल–खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। इस समय इस कार्यक्रम से लगभग 100 बच्चे जुड़े हैं।

इन बच्चों के अभिभावकों को भी हम प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें शिक्षा का महत्त्व समझाते हैं। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हुए। हमने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में उनकी मदद की। इस तरह पिछले वर्ष 6 बच्चों का प्रायमरी स्कूल में दाखिला करवाया।

नक्षत्र नाट्य समूह में लगभग 15 बच्चे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की अभिनय प्रतिभा को विकसित करना है। नाट्य कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें अभिनय की बारीकियों को समझाना है। जिससे वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

सूचना का अधिकार के अंतर्गत वृद्ध एवं विधवा पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, राशन की अनियमितता, पहचान पत्र से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 18 आरटीआई डालीं।

पिछले तीन माह में हुए समूह चर्चा के विषय थे – पर्यावरण, हिंसा, पानी की कमी। इन चर्चाओं में लगभग 25 –30 बच्चों ने हिस्सा लिया।

जेंडर पॉलिसी फोरम

जेंडर पॉलिसी फोरम श्रृंखला की सत्रहवीं चर्चा का विषय था : मेज़रिंग जेंडर एम्पावरमेंट – व्हाट पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट और इंडिया हैबिटेट सेंटर ने संयुक्त रूप से इस बैठक का आयोजन किया। यह बैठक इंडिया आईएचसी के कैजुरीना सभागार में 6 नवंबर 2009 को आयोजित हुई।
प्रमुख वक्ता थे – इंटरनैशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली के सीनियर रिसर्च फैलो डॉक्टर अबुसलेह शरीफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर आशा कपूर मेहता ने इस चर्चा में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया।

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 द्वारा प्रकाशित। संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा :मो. नसीम आरिफ। ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट: www.isst-india.org फोन : 91–11–47682222